नि.फौ.प्र.सं. 287 / 2015
सरकार बनाम सांवलिया
सी.एन.आर. नं. RJDS120004452015
निर्णय दिनांकः 09.03.2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम	सीमा मीना, रा.न्या.से.(UIDNO.RJ01558)
निर्णय दिनांक	09.03.2026
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रेशन दिनांक	17.11.2015
रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या	287 / 2015
अंतर्गत धारा	420 भा.दं.संहिता
सी.आई.एस. नंबर	1538 / 2020
सी.एन.आर. नंबर	RJDS120004452015
एफ.आई.आर. नंबर	177 / 2015, पुलिस थाना मण्डावर

राजस्थान राज्य **ब ना म** सांवलिया कोली पुत्र पून्या राम, निवासी गॉव सायपुर पाखर, पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा (राज.)

.....**अभियुक्त**

अपराध की दिनांक	05.08.2015
एफ.आई.आर. की दिनांक	06.08.2015
चार्जशीट की दिनांक	26.09.2015
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	25.07.2018
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ होने की दिनांक	25.07.2018
बहस अंतिम की दिनांक	09.03.2026
निर्णय दिनांक	09.03.2026

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त / दोषसिद्ध	कारावास है अथवा नहीं	धारा 428 द.प्र.सं. के उद्देश्य के लिए ट्रायल के दौरान कैद की अवधि
1	सांवलिया	–	–	420 आई.पी.सी.		–	–

अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	महेश	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 02	राकेश	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	विनोद कुमार	फर्द जब्ती व बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	मान सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 05	तूहीराम	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
पी.डब्ल्यू. 06	शिम्भूदयाल	फर्द जब्ती व बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 07	बनवारी लाल सेहरा	रिपोर्ट/बयान नतीजा चार्जशीट का गवाह

अभियोजन के प्रदर्श की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	पुलिस बयान महेश
2.	प्रदर्श पी.2	पुलिस बयान राकेश
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द जब्ती मोबाईल मय सिम
4.	प्रदर्श पी.4	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम सांवलिया
5.	प्रदर्श पी.5	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/2015
6.	प्रदर्श पी.6	आपराधिक रिकॉर्ड सांवलिया
7.	प्रदर्श पी.7	मालखाना रजिस्टर
8.	प्रदर्श पी.8	मजमून रिपोर्ट
9.	प्रदर्श पी.9	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2015
10.	प्रदर्श पी.10	मजमून रिपोर्ट

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थित : –

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी – राज. की ओर से

02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण – श्री मधुसूदन सैनी

:: निर्णय :: दिनांक : 09.03.2026

01. हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना मण्डावर के अभियोग संख्या 176/2015 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में गिरफ्तारशुदा मुलजिम सांवलिया पुत्र पुन्या राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी सायपुर

पाखर की जामा तलाशी दिनांक 05.08.2015 को उसके कब्जे से प्राप्त दो मोबाईल स्पाईस के मालखाना इंचार्ज विरेन्द्र सिंह हैड कानि. 115 से निकलवाकर अवलोकन किया गया तो 1– एक मोबाईल स्पाईस कंपनी का रंग काला, जिसके अन्दर 9785121252 नंबर की आईडिया कंपनी की सिम लगी है। आई.एम.ई.आई. नंबर 911420301596928 व 911420301596936 है। सिम धारक का नाम पता निकलवाया गया तो Activation Date 15 फरवरी 2012 है। सिम धारक का नाम पता राकेश पुत्र हरि सिंह 12 मुख्य ग्राम खेड़ा, कल्याणपुर, तहसील कठूमर, अलवर RJ321605 है। 2– एक मोबाईल स्पाईस कंपनी का रंग काला, जिसके अन्दर 7891058090 आईडिया कंपनी की लगी है। मोबाईल सैट के आई.एम.ई.आई. नंबर नजर नहीं आ रहे हैं। सिम धारक का नाम पता निकलवाया गया तो महेश चन्द बैरवा पुत्र बृजलाल बैरवा, निवासी राजीव गॉधी स्कूल के पास गढ़ हिम्मत सिंह, पुलिस थाना मण्डावर, एक्टीव दिनांक 17.07.2015 है। इस प्रकार आरोपी सांवलिया पुत्र पून्या राम, निवासी सायपुर पाखर द्वितीय थाना मण्डावर का स्थायी निवासी है व स्वयं की पहचान दस्तावेज को काम में न लेकर बेईमानी पूर्वक अन्य व्यक्तियों की पहचान दस्तावेज के आधार पर सिम उपयोग में लेने का कृत्य अपराध धारा 420 भ.दं.संहिता के तहत दण्डनीय होने पर मोबाईल व सिम उपरोक्तानुसार बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया जाकर जप्त किया गया.....इत्यादि पर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2015 अंतर्गत धारा 420 भा.दं.संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

02. बाद अनुसंधान अभियुक्त सांवलिया के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420 भा0द0संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भा0द0संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

03. अभियुक्त सांवलिया को दिनांक 25.07.2018 को अपराध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अपराध

से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 लगायत पी.ड. 07 को प्रस्तुत कर परिक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–10 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

05. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधानानुसार लेखबद्व किये, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं के निर्दोष होने एवं झूठा फंसाया जाने का अभिवाक् किया।

06. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन रहा कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे अभियोजन की ओर से साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

07. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा दस्तावेज कूटरचित किए जाने की लेशमात्र भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है और उन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। मात्र संभावना के आधार पर किसी को भी दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावें।

08. उभय पक्षों के तर्कों के आलौक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ बिन्दु यह उत्पन्न होता है किः–

''आया दिनांक 05.08.2015 को मुकदमा संख्या 176/2015 पुलिस थाना मण्डावर में जामा तलाशी में आपके कब्जे से प्राप्त दो मोबाईल स्पाईस कम्पनी के मालाखाना इन्चार्ज विरेन्द्र सिंह से निकलवाकर चैक किया तो एक

मोबाईल स्पाईस कम्पनी का रंग काला जिसके अन्दर 9785121252 नम्बर की आइडिया कम्पनी की सिम लगी थी, सिम धारक का नाम निकलवाया तो एक्टीवेशन दिनांक 15.02.2012 सिम धारक का नाम राकेश पुत्र हरीसिंह निवासी खेडा कल्याणपुर अलवर था एवं दूसरी स्पाईस कम्पनी के मोबाईल जिसके अंदर 7891058090 आइडिया कम्पनी की सिम लगी थी जिसके धारक का नाम निकलवाया तो महेश चंद पुत्र बृजलाल बैरवा निवासी गढहिम्मतसिंह थाना मण्डावर था। इस प्रकार अभियुक्त ने स्वयं के दस्तावेजात काम में न लेकर बेईमानीपूर्वक अन्य व्यक्तियों के पहचान दस्तावेज के आधार पर सिम निकलवाकर उपयोग में लिये और सिम धारको के साथ छल कारित किया ?

''यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा ?''

09. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य आई है, उसमें अभियोजन साक्ष्य में **गवाह पी॰ड॰1 महेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान दिवस से करीब 8–9 वर्ष पूर्व की बात है, दिन, तारीख उसे याद नहीं है। उसने उसकी आई.डी. से एक सिम 829041 थे आगे के नम्बर याद नहीं है। उसने ली थी। ठेके से व उसके घर के बीच में उसका मोबाईल रेज कम्पनी का था जो गिर गया था। उसकी आई.डी. से किसी ने फर्जी सिम ली हो तो उसे पता नहीं। उक्त गवाह को अभियोजन द्व ारा पक्षद्रोही घोषित किया है, जो अभियोजन कहानी का किसी प्रकार समर्थन नहीं करता है। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी व सी से डी भाग सही है, ई से एफ गलत है। उसके नाम से किसी ने फर्जी सिम ले रखी हो तो पता नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त मोबाईल व सिम गिर जाने बाबत् उसने थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई व उसके मोबाईल से दुरूपयोग नहीं किया।

10. **गवाह पी.ड.2 राकेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि बयान दिवस से करीब 8–9 वर्ष पूर्व की बात है। तारीख उसे याद नहीं है। उसे पता नहीं कि उसकी आई.डी. से किसी ने सिम ली हो तो। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–2 का ए से बी भाग सही है व सी से डी भाग गलत है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि वह सांवलिया को जानता हो और उसकी

फर्जी आई.डी. से सांवलिया ने कोई सिम ली हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसकी आईडी से किसी ने कोई सिम जारी नहीं कराई और ना ही उसका कोई दुरूपयोग किया और ना ही वह सांवलिया को जानता है।

11. **गवाह पी.ड.3 विनोद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 06.08.2015 को पुलिस थाना मण्डावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन बनवारी लाल सहरा के द्वारा मुकदमा 176/2015 में गिरफ्तारशुदा मुलजिम सांवलिया पुत्र पून्या, निवासी सहायपुर पाखर की तलाशी में मिले दो मोबाईल स्पाईस को मालखाना इन्चार्ज के द्वारा निकलवाया जाकर मोबाईल की सिमों की जॉच की गई तो मोबाईल स्पाईस, जिसमें आईडिया की सिम नंबर 9785121252 थे। सिम धारक का नाम राकेश पुत्र हरि सिंह, निवासी खेड़ा कल्याणपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर। दूसरा भी स्पाईस कंपनी का था, जिसमें भी आईडिया कंपनी की सिम थी, जिसके नंबर 7891058090 थे, सिम धारक महेश पुत्र ब्रजलाल, निवासी गढ़ हिम्मत। उक्त दोनों सिमें सांवलिया द्वारा स्वयं के दस्तावेजों से ना लेकर दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों से लेकर सिम उपयोग कर रहा था। फर्द जब्ती मोबाईल स्पाईस प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दोनो मोबाईल उसके सामने मुलजिम से बरामद नहीं किये थे, मालखाना इन्चार्ज द्वारा लिये गये थे। सिम धारको की सिम नम्बरों से अभियुक्त ने कोई दुरूपयोग किया या नहीं किया पता नहीं है। प्रदर्श पी–3 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उक्त दोनो सिम धारको के द्वारा उनके थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई या नहीं कराई।

12. **गवाह पी.ड.4 मानसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 06.08.2015 को पुलिस थाना मण्डावर पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन बनवारीलाल एस.एच.ओ. ने मुलजिम सांवलिया से एक मोबाईल स्पाईस मय सिम व एक स्पाईस मोबाईल की जब्ती मय मजमून रिपोर्ट, जिसमें मजमून रिपोर्ट के आधार पर सांवलिया के खिलाफ मुकदमा संख्या 177/2015 दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की। दौराने अनुसंधान मुलजिम सांवलिया को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की, जो

प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी तूहीराम के, ई से एफ प्रदीप के, जी से एच सांवलिया के हस्ताक्षर है। गवाह शम्भू, विनोद कुमार, बनवारीलाल, महेश, राकेश के बयान उनके कथनानुसार लेकर लेखबद्ध किए। सांवलिया के विरुद्ध दर्ज 176/2025 की एफ.आई.आर. प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम सांवलिया प्रदर्श पी.6 है, ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.7 है। उपरोक्त समस्त अनुसंधान से मुलजिम सांवलिया पुत्र पूनीराम के विरुद्ध धारा 420 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. बनवारीलाल को सुपुर्द की, जिन्होंने चालान पेश किया। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि उसकी तफ्तीश में उक्त सिम धारकों को व मोबाईल मालिको द्वारा कोई रिपोर्ट व शिकायत नहीं की गई और उक्त मोबाईल व सिम धारक मुलजिम के मिलने वाले व रिश्तेदार हो सकते हैं। आगे गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसकी तफ्तीश में मोबाईल व सिम धारकों के साथ कोई धोखाधडी भी नहीं की गई है व मोबाईल व सिम धारक राकेश व महेश की सिमों का कोई दुरूपयोग नहीं किया। यह बात सही है कि राकेश व महेश मुलजिम सांवलिया के दोस्त व मिलने वाले थे और उन्होंने सांवलिया को उक्त सिम को उपयोग के लिए दिया हो। यह सही है कि उसकी तफ्तीश में किसी प्रकार की धोखाधड़ी प्रमाणित नहीं पायी गयी।

13. **गवाह पी.ड.5 तूहीराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि पुलिस ने उसके सामने सांवलिया को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.4 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

14. **गवाह पी.ड.6 शम्भूदयाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 06.08.2015 को पुलिस थाना मंडावर में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 176/15 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में गिरफतार शुदा मुलजिम सांवलिया से दो मोबाईल जब्त किये थे, जो स्पाइश कंपनी के थे, जिनके सिम नं. एक मोबाईल का अंत में 1252 है दूसरे मोबाईल का सिम नं. ध्यान नहीं है। उक्त दोनों सिम राकेश व महेश के नाम से थी। उसके बाद थानाधिकारी ने दोनों मोबाईलों को जब्त

कर फर्द जब्ती तैयार की, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि यह सही है कि सिम धारकों ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं कराई थी। प्रदर्श पी–3 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे और ना ही किसी मुलजिम के हस्ताक्षर करवाये थे।

15. **गवाह पी.ड.7 बनवारी लाल सेहरा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 05.08.2015 को थाना मण्डावर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 176/2015 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा मुलजिम सांवलिया पुत्र पून्याराम, निवासी सायपुर पाखर की जामा तलाशी ली गयी, जिसमें दो मोबाईल स्पाईश मय सिम जमा मालखाना करवाया था, जिसको दिनांक 06.08.2015 को मालखाना इन्चार्ज विरेन्द्र से जप्तशुदा माल को लेकर जॉच की गई तो एक मोबाइल स्पाइस में एक सिम आईडिया कंपनी लगी हुई थी, जिसमें सिम धारक का नाम पता निकलवाया तो सिम धारक का नाम राकेश पुत्र हरिसिंह, निवासी खेडा कल्याणपुर, तहसील कठूमर, और अन्य मोबाइल जो स्पाईस कंपनी का ही था, उसमें आइडिया की सिम लगी हुई थी, उस में सिम धारक का नाम पता निकलवाया तो महेश चंद निवासी गढ़हिम्मत सिंह, मण्डावर के नाम पर थी। उक्त दोनों सिम सांवलिया के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के अधार पर राकेश और महेशचन्द के नाम पर लेकर स्वयं सावलिया के द्वारा उपयोग की जा रही थी। उक्त दोनो मोबाइलों को जप्त कर मोबाइलों कर फर्द जब्ती तैयार की, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मजरूब रिपोर्ट प्रदर्श 8 है, जिस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा रवानी प्रदर्श पी.10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त माल का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर मद संख्या 94 पर अंकित है। मालखाना रजिस्टर की असल प्रति प्रदर्श पी–10ए है। उक्त **गवाह ने दौराने जिरह** कथन किया कि गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दोनो मोबाइलों के सन्दर्भ में मोबाइल धारक व सिम धारक ने कोई एफआईआर दर्ज नही कराई थी। उसने उक्त मोबाइलों के बिल बाउचर नही लिये थे, मोबाइल मे सिम

लगी हुयी थी उनके धारकों के बाबत उसने किसी भी मोबाइल कंपनी से मालूम नही किया। जप्तशुदा स्पाईश मोबाइल मोबाइल की दुकानों पर आसानी से मिल जाते है। उक्त मोबाइलों से किसी भी व्यक्ति से साथ धोखाधडी नही हुयी है, मुलजिम सावलिया किसी अन्य प्रकरण मे बंद था और जामा तलाशी के अन्दर बंद किया था, प्रदर्श पी 3 फर्द जप्ती पर किसी भी स्वंतत्र गवाह के हस्ताक्षर नही करावाये। उक्त दोनों मोबाइलों के सन्दर्भ में मोबाइल धारक व सिम धारक ने कोई धोखाधडी बाबत् एफआईआर दर्ज नही कराई थी।

16. उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करते है तो जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–9 में पुलिस थाना मण्डावर के अभियोग संख्या 176/2015 में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सांवलिया से दो मोबाईल व दो सिम जप्त करना व उक्त दोनो सिम महेश व राकेश की होना बताया है। जिस संबंध में अभियोजन की ओर से उक्त सिम धारक को गवाह पी.ड.1 महेश व पी.ड.2 राकेश के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त दोनो ही गवाह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही रहे है। गवाह पी.ड.1 महेश ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ई से एफ भाग सही नहीं है। उसका मोबाईल व सिम कहां गिरी पता नहीं है। वह सांवलिया को नहीं जानता, लेकिन नाम सुना है। उसके नाम से किसी ने फर्जी सिम ले रखी हो तो पता नहीं है। यह सही है कि उसके मोबाईल से दुरूपयोग नहीं किया, किसी को मिला पता नहीं है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.2 राकेश ने अपनी जिरह में कथन किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–2 का सी से डी भाग गलत है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। यह कहना गलत है कि उसकी फर्जी आई.डी. से सांवलिया ने कोई सिम ली हों यह सही है कि उसकी आई.डी. से किसी ने कोई सिम जारी नहीं कराई और ना ही उसका कोई दुरूपयोग किया। इसी प्रकार फर्द जप्ती प्रदर्श पी–3 के गवाह पी.ड.3 विनोद कुमार रहा है, जिसने अपनी जिरह में कथन किया कि यह सही है कि दोनो मोबाईल उसके सामने अभियुक्त से बरामद नहीं किये जो मालखाना इन्चार्ज द्वारा लिये गये थे। सिम धारको से उसके सामने किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की थी, सिम धारकों की सिम नम्बरों से मुलजिम ने कोई दुरूपयोग किया या नहीं

किया, पता नहीं है। प्रदर्श पी–3 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है जो मोबाईल उसके सामने जप्त किया था वह आज न्यायालय में नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह स्वयं के सामने अभियुक्त से मोबाईल बरामद नहीं करना व मालखाना इन्चार्ज द्वारा लिये जाना कथन किया है तथा उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में स्वयं के सामने जप्ती बाबत् भी कोई कथन नहीं करता है, ना ही उक्त जप्ती में किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर कराये गये। इसके अतिरिक्त फर्द जप्ती का अन्य गवाह पी.ड.6 शम्भूदयाल रहा है, जिसने अपनी जिरह में कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि सिम धारक अभियुक्त सांवलिया के मिलने–जुलने वाले हो। इस तथ्य को सही बताया है कि सिम धारकों ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। यह भी सही है कि प्रदर्श पी–03 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे और ना ही किसी अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये थे।

17. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी मानसिंह गवाह पी.ड.4 के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने स्वयं के द्वारा अनुसंधान किया जाकर अभियुक्त सांवलिया के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानने की तथ्यात्मक रिपोर्ट देना बताया है। यह गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि उसकी तफ्तीश में उक्त सिम धारकों को व मोबाईल मालिको द्वारा कोई रिपोर्ट व शिकायत नहीं की गई और उक्त मोबाईल व सिम धारक मुलजिम के मिलने वाले व रिश्तेदार हो सकते हैं। आगे गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसकी तफ्तीश में मोबाईल व सिम धारकों के साथ कोई धोखाधडी भी नहीं की गई है व मोबाईल व सिम धारक राकेश व महेश की सिमों का कोई दुरूपयोग नहीं किया। यह बात सही है कि राकेश व महेश मुलजिम सांवलिया के दोस्त व मिलने वाले थे और उन्होंने सांवलिया को उक्त सिम को उपयोग के लिए दिया हो। यह सही है कि उसकी तफ्तीश में किसी प्रकार की धोखाधड़ी प्रमाणित नहीं पायी गयी। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी की उक्त जिरह में आई साक्ष्य से अभियुक्त सांवलिया द्वारा सिम धारक राकेश व महेश के साथ छल कारित करना साबित नहीं होता है।

18. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त सांवलिया पर धारा 420 भा.दं.संहिता के अपराध का आरोप है। धारा 420 भा.दं.संहिता में यह प्रावधान किया गया है

कि ''जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति का, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

19. इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई उपरोक्त साक्ष्य से अनुसंधान में कौनसी जांच की गई थी, यह किसी भी गवाह ने नहीं बताया है। किस स्थान से सिम प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, क्या अनुसंधान अधिकारी द्वारा सिम कम्पनी को कोई पत्र लिखा अथवा प्रकरण में किन दस्तावेजों के आधार पर सिम अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई, नहीं बताया है। अनुसंधान में जिन दो व्यक्तियों (सिम धारक) राकेश व महेश के दस्तावेज इस्तेमाल करना बताया है, वे स्वयं अपनी साक्ष्य में इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं तथा उक्त दोनो गवाह पक्षद्रोही रहे हैं। अभियोजन की ओर से किसी गवाह ने यह नहीं बताया है कि उक्त सिमो को किस प्रकार किन दस्तावेजों पर किससे प्राप्त किया। ऐसे में किस आधार पर अभियोजन द्वारा अपराध धारा 420 भा.दं.संहिता के निष्कर्ष पर पहुंचा है वही साबित करने में असफल रहे हैं।

20. ऐसे में इस न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहान अभियोजन घटना को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहे है। अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय हाजा की राय में अभियुक्त सांवलिया पर आरोपित अपराध धारा 420 भा.दं.संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

21. अभियुक्त सांवलिया कोली पुत्र पून्या राम, निवासी गॉव सायपुर पाखर, पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा (राज.) को धारा 420 भा.दं.संहिता के अपराध के आरोप में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्त जमानत पर है जिसकी उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा

23. यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा